



सत्यमेव जयते

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना-800015

दूरभाष :- 0612-2215895, वेबसाइट- krishi.bih.nic.in ई-मेल- diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com



बिहार सरकार

संचिका/पत्र संख्या- 09/उपा0बीज0अनु0-23/2019 3364

Govt of Bihar
Directorate of Agriculture

01-9-2020



कार्यालय आदेश

मेसर्स नंदनी सीड्स द्वारा-मेसर्स किसान सेवा केन्द्र, सिकन्दरपुर, अखाड़ाघाट, मुजफ्फरपुर के बीज अनुज्ञापति हेतु प्राप्त प्रस्ताव, कोषागार चालान, जिला कृषि पदाधिकारी से प्राप्त स्थल जांच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज निरीक्षक समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 12/2020 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशांसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 31/08/2025 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के पत्रांक 2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संचिका संख्या- 09/उपा0बीज0अनु0-23/2019 के पृ 09/टि0 पर दिनांक 28.08.2020 के प्रस्ताव में कृषि निदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Prithvi
21/8/2020

(धनन्जय पति त्रिपाठी),

संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,
बिहार, पटना।

/कृ0, पटना, दिनांक 01-9-2020

ज्ञापांक :- 3364

प्रतिलिपि:- मेसर्स नंदनी सीड्स द्वारा-मेसर्स किसान सेवा केन्द्र, सिकन्दरपुर, अखाड़ाघाट, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

Prithvi
31/8/2020

संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 3364

/कृ०, पटना, दिनांक ०१-१-2020

प्रतिलिपि:- 1. निदेशक, बसोका, मीठापुर, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

Pratap
31/8/2020
संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,
बिहार, पटना।



सत्यमेव जयते



बिहार सरकार

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना-800015
दूरभाष :- 0612-2215895, वेबसाइट- krishi.bih.nic.in ई-मेल- diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

पत्रांक:-09/उपा0बीज0अनु0-23/2019 3364

दिनांक:- 01-9-2020

मेसर्स नंदनी सीड्स, द्वारा राज्य में निम्न फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जाएगा :-

LIST OF CROP & VARIETIES

क्र०सं०	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	Wheat	PBW-343, WH-711, PBW-550, HD-2967, PBW-502, PBW-373

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक-09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Pratap
21/8/2020
(धनन्जय पति त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।



FORM 'B'

(See Clause 5)



धनन्जय त्रिपाठी
संयुक्त निदेशक (शाली) जमान
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

License No 12/2020 Date 01/09/2020

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the license Sri मेसर्स नंदनी सीड्स is hereby granted license to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at द्वारा-मेसर्स किसान सेवा केन्द्र, सिकन्दरपुर, अखाड़ाघाट, मुजफ्फरपुर the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स नंदनी सीड्स द्वारा-मेसर्स किसान सेवा केन्द्र, सिकन्दरपुर, अखाड़ाघाट, मुजफ्फरपुर	मेसर्स नंदनी सीड्स द्वारा-मेसर्स किसान सेवा केन्द्र, सिकन्दरपुर, अखाड़ाघाट, मुजफ्फरपुर
पूरब - तिवारी जी	पूरब - तिवारी जी
पश्चिम - सड़क	पश्चिम - सड़क
दक्षिण - सड़क	दक्षिण - सड़क
उत्तर - नागेन्द्र जी	उत्तर - नागेन्द्र जी

Date :

Seal :

P. Patil
31/8/2020
(Dhananjay Pati Tripathi)

Joint Director (Agronomy) Input

Signature of the Licensing officer Seal

Authority vide order of Director of Agriculture
in file No. 09/Input.Seed lic.

On dated-

23/2019 Note Sheet page No-
Bihar, Patna

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This licensee comes into force with immediate effect and shall be valid up to 31/08/2025 Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licensee shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by him for the purpose of storage, sale or export of seed.
6. Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately